

15/11/19

20/12/2019
106

वकील वादी उपरोक्त वकील को प्रतिवादीमार्फत की तक्रारी हेतु तक्रारण पेश करने हेतु अवसर दिये गये। वकील वादी प्रतिवादी की तक्रारी रजिस्टर्ड एंडी तक्रारण पेश करने हेतु 16/11/19, 26/12/18, 20/2/19, 15/5/19 व 3/7/19 को अवसर दिये गये। वकील वादी ने तक्रारी हेतु तक्रारण पेश नहीं किया। इसके पश्चात् दि 25/10/19 को वकील वादी को प्रतिवादी की तक्रारी शफिउल एंडी तक्रारण पेश करने हेतु न्यायादिल में एक और अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकील वादी ने तक्रारी हेतु तक्रारण पेश नहीं किया। अतः वादी वादी अन्तर्गत धारा 09 ROS EPE के तहत अदम तकमील (NON-Compliance) में रिकार्ड किया जाता है पंजाब नम्बर से कम होकर बाद तकमील दायित्व दायित्व हो सुनाया गया।

उपरोक्त तक्रारण (अन्त) अन्त

राज्यक कलक्टर
अलवर (राज०)